500 लोगों से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

लुभावनी योजनाओं में फंसाकर लोगों को लगाया करोड़ों का चूना

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

आर्थिक अपराध शाखा ने करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इस पर पोंजी स्कीम के तहत करीब 500 लोगों को जाल में फंसाकर चूना लगाने का आरोप है। गिरफ्तार किये गये शख्स का नाम संजीव कुमार है। पुलिस ने इसे शुक्रवार को गाजियाबाद इलाके से गिरफ्तार किया। एडिशनल सीपी ओ पी मिश्रा के अनुसार आरोपी शख्स के खिलाफ तीन अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया गया था। आरोपी ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों से अलग-अलग पोंजी स्कीम के तहत इंवेस्ट करवाया और करोड़ों बटोरकर बाद में अंडरग्राउंड हो गया था। कई लोगों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत की थी। जांच करने पर पता चला कि आरोपियों का शिकार करीब 500 लोग हुये हैं। आरोपी संजीव बागपत जिले के छपरौली थानाक्षेत्र के रठौड़ा गांव का रहने वाला है। ओपन से 10वीं और 12वीं करने के बाद इग्नू से ग्रेजुएशन किया। अक्टूबर 2005 से मार्च 2015 तक उसने मिनिस्ट्री ऑफ फर्टीलाइजर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर कार्य किया। 2009-10 में उसने कमेटी डालने से अपना नया धंधा शुरू किया था। पहले दोस्तों, पड़ोसियों और ऑफिस स्टाफ को कमेटी में शामिल किया गया था। इसके साथ ही वह तीन प्रतिशत के रेट पर लोगों को पैसा भी देता था। इसी दौरान इसने साई फाइनेंस नामक कंपनी खोली। यह कंपनी कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं करवाई गई थी।

इंवेस्ट करते रहे लोग, नहीं मिला कोई इनाम

आरोपी सबसे पहले 100 लोगों की स्कीम लेकर आया। सभी से पांच हजार रुपये पांच महीनों तक इंवेस्ट करवाये गये। छठें महीने लक्की ड्रा में नैनो कार या फिर 1 लाख 20 हजार रुपये देने का वादा किया गया था। इसके बाद हर महीने वाली स्कीम शुरू की जिसमें सदस्यों को 50 हजार से 90 हजार तक का 99 महीनों तक इनाम देने का वादा किया था। लोग इसकी स्कीम में इंवेस्ट करते चले गये लेकिन किसी को कोई इनाम नहीं मिला। इसी प्रकार आरोपी ने 500 लोगों की दूसरी स्कीम के तहत हर व्यक्ति से 2 हजार रुपये लिये। इसके तहत हर महीने लक्की ड्रा किया जाना था और इनाम राशि थी 50 हजार रुपये। ठगों ने हर महीने 10 उत्साहवर्धक ड्रा का भी झांसा दिया जिसमें हर मेंबर को 2 हजार का इनाम मिलना तय हुआ था। इन सभी स्कीम में आरोपी ने लोगों से करोड़ों रुपये ठगे और फरार हो गया। पुलिस ने शुक्रवार को इसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे तीन दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

नई दिल्ली स्टेशन पर चंडीगढ़-कोचुवेली एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग

नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही चंडीगढ़-कोचुवेली एक्सप्रेस के पीछे वाले इंजन (जनरेटर कार) में शुक्रवार को आग लग गई। रेलवे के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा कि इस घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 12218 चंडीगढ़-कोचुवेली एक्सप्रेस के पीछे वाले इंजन में करीब एक बजकर 40 मिनट पर आग लग गई। उन्होंने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन प्लेटफार्म संख्या आठ से रवाना हो रही थी। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझा ली गई है। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियों को भेजा गया।

खबर संक्षेप

बच्चा चोर समझकर दो युवकों को पीटा

नई दिल्ली। हौजकाजी इलाके में शुक्रवार सुबह लोगों ने दो युवकों को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह पीट दिया। कुछ अनहोनी से पहले ही कुछ जिम्मेदार लोग वहां पहुंच गये और उन्होंने दोनों युवकों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर पुलिस को कॉल कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया और थाने ले आई। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। दोनों युवकों के नाम पंजाब के भटिंडा निवासी समरजीत सिंह (22) और करण (26) है। दोनों पार्टनर हैं और भटिंडा में रेहड़ी पर चाऊमिन बनाकर बेचते हैं। वह ट्रेन से दिल्ली गैस चुल्हा व अन्य सामान खरीदने के लिए आए थे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ की गई तो कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया जिसने उन्हें किसी बच्चे के आसपास भी देखा हो। दोनों युवकों का रिकॉर्ड भी साफ मिला है। पुलिस ने देर शाम दोनों को थाने से छोड़ दिया।

लापता युवक का शव सड़ी गली हालत में मिला

नई दिल्ली। विवेक विहार थाना इलाके में लापता युवक का शव चार दिनों बाद सड़ी गली हालत में पार्क से मिला। मृतक का नाम मंदीप सिंह (19) है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। परिजनों ने हत्या का शक दो पड़ोसियों पर लगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक, मंदीप कस्तूरबा नगर इलाके में सपरिवार रहता था। परिवार में माता-पिता व एक छोटा भाई है। वह एक दुकान पर एसी ठीक करने का काम करता था। गत दो सितंबर शाम करीब 7:30 बजे वह खाना खाकर घर के बाहर रोड पर जाकर बैठा था। रात करीब 10 बजे से वह लापता हो गया। देर रात तक वह जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे तलाशा। मगर उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। शुक्रवार को झिलमिल स्थित चिल्ड्रन पार्क के सामने वाले पार्क में उसका शव सड़ी गली हालत में बरामद हुआ।

दोस्तों ने चाकू घोंपकर की हत्या

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- पुलिस आरोपियों की तलाश में कर रही है छापेमारी

भलस्वा डेयरी थाना इलाके में दोस्तों ने झगड़े के चलते चाकू घोंपकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। मृतक का नाम नवीन (28) है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। डीसीपी (आउटर-नॉर्थ) गौरव शर्मा ने बातया कि झगड़े में दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, नवीन भलस्वा डेयरी इलाके में सपरिवार रहता था। नवीन निजी कंपनी में काम करता था। भलस्वा डेरी पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस घायल को लेकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में मृतक की शिनाख्त नवीन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक नवीन की अपने दोस्त आकाश, छोटू, अजय और सोनू से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस दौरान आरोपियों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की। बाद में उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिये। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

वारदात की सूचना परिवार को उसके किसी जानकार ने दी थी। पुलिस फरार आरोपियों के घरवालों से उनके ठिकानों के बारे में पूछताछ कर छापेमारी कर रही है।

घर के बाहर डॉगी टहला रहे युवक को उतारा मौत के घाट

- वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल
- स्कूटी सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

नई दिल्ली। अमन विहार थाना इलाके में बृहस्पतिवार रात बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर डॉगी टहला रहे एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस खून से लथपथ युवक को लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम पुष्कर (25) है। इस वारदात से जुड़ी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस को मौके से चार से पांच कारतूस के खोके मिले है। शुरूआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जानकारी के मुताबिक, पुष्कर, अमन विहार में सपरिवार रहता था। परिवार में मां-पिता के अलावा अन्य सदस्य है। पुष्कर फोटोग्राफी का काम करता था। पुष्कर देर रात करीब 10:30 बजे घर के बाहर अपने डॉगी को टहला रहा था। इसी दौरान एक स्कूटी पर सवार दो बदमाश आये। वह पुष्कर से किसी बात को लेकर कहासुनी करने लगे। इससे पहले पुष्कर कुछ समझ पाता बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर पुष्कर के परिजन व आसपास के लोग घर से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि पुष्कर खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। परिजनों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुष्कर के चाचा ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी से आपसी रंजिश थी। पुलिस वायरल वीडियो व सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

शोरूम के ट्रायल रूम में कैमरा, केस दर्ज

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 के एक कपड़ों के शोरूम में ट्रायल रूम के भीतर कैमरे लगे होने का मामला सामने आया है। एक महिला की शिकायत के बाद शोरूम मालिक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला अपने परिवार के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है। बीते दिनों वह ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक में खरीदारी करने के लिए गई थी। वह जब एक कपड़ों के शोरुम में पहुंची तो वहां कोई महिला कर्मचारी नहीं थी और ना ही कोई ग्राहक था। कुछ कपड़े पसंद करने के बाद जब वहां मौजूद कर्मचारियों से ट्रायल रुम के बारे में पूछा तो कर्मचारियों ने उसे एक कमरे में भेज दिया। वह कपड़ों का ट्रायल ले ही रही थी तभी एक महिला कर्मचारी वहां पहुंची और उसने बताया कि यह कमरा ट्रायल रुम नहीं है। यह सुनकर महिला हैरान रह गई। उसने देखा कि कुछ तार अलग प्रकार से लगे हुये हैं। कपड़े बदलने के बाद जब वह बाहर निकली तो उसने शोरूम मालिक से सभी कैमरों की फुटेज देखने की बात कहीं। इस पर शोरुम के मालिक ने उसे कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उसने फुटेज दिखाने से भी इंकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत कर दी।

अपहृत/गुमशुदा की तलाश

लाडो

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका **नामः लाडो, पुत्रीः बदरी, पताः** झुग्गी नं. 167, एफ–ब्लॉक, मंगोलपुरी, दिल्ली जोकि दिनांक **16.08.2019** से थाना मंगोलपुरी, दिल्ली क्षेत्र से अपहृत/लापता है। इस संदर्भ में **FIR No. 819/19 u/s 363 IPC dated 20.08.2019** को थाना मंगोलपुरी, दिल्ली में अपहृत/लापता की रिर्पोट दर्ज है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। **उम्रः** 15 साल, **कदः** 5 फुट, **चेहराः** गोल, **रंगः** सांवला, पहचानः दोनो हाथों के उंगलियों पर "डॉट–डॉट" के टैटू का निशान, **पहनावाः** लाल रंग की कमीज–पैटिकोट एवं पैरों में चप्पल पहन रखी है। पुलिस के भरसक प्रयास के बावजूद अभी तक इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जिस व्यक्ति के पास इस लड़की के बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया निम्नलिखित पर सूचित करें।

वेबसाइट: **http//cbi.nic.in**
ई–मेल - **cic@cbi.gov.in**
फोनः **011-24368638, 24368641**
फैक्स नं. **011-24368639**
DP/2633/OD/19

थानाध्यक्ष
थानाः **मंगोलपुरी, दिल्ली**
फोन नंः **011-27922186, 7065036121**

FIRST CAPITAL INDIA LIMITED

Regd. Office: 11th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
Phone No. 011-43621200 **Fax No.** 011-41501333
CIN: U74899DL1994PLC057651 **E-mail id:** nghai@landmarkholdings.in

NOTICE

The 25th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, September 30, 2019 at 10:00 a.m. at 4th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is offering to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Annual General Meeting by electronic means and the member may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The detailed communication relating to remote e-voting inter-alia containing User ID and password along with the copy of Notice has been dispatched to the members in the permitted mode. The Company has engaged the Services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the Authorized Agency to provide e-voting facilities. The remote e-voting facility shall commence on September 27, 2019 from 9:00 a.m. (IST) and end on September 29, 2019 at 5:00 p.m (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e 24th September, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. Any person who becomes member of the Company after dispatch of AGM notice and holding shares as on the cut-off date i.e 24th September, 2019, may obtain the User ID and password by sending a request to M/s Link Intime India Private Limited, Noble Heights,1st Floor, Plot No. NH-2, LSC, Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Contact no.: 011-41410592. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through polling paper shall also be made available at the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting.

In case of any queries/ issues relating to e-voting, the members/ Beneficial owners may contact at M/s Link Intime India Private Limited, Noble Heights,1st Floor, Plot No. NH-2, LSC, Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Contact no.: 011-41410592.

By Order of the Board
Sd/-
(Madhushree Nandi)
Company Secretary
M.No.: A49829

Place: New Delhi
Dated: 06.09.2019

टीडीआई मॉल में डीसीडब्ल्यू के छापे से पहले ही भागे स्पा मालिक

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- मॉल में चल रहे थे 35 से अधिक स्पा सेंटर

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नेतृत्व में आयोग की टीम ने शुक्रवार को राजौरी गार्डन के टीडीसी मॉल में छापा मारा जहां 35 से अधिक स्पा सेंटर मिले। हालांकि स्पा मालिकों को छापे की जानकारी मिलने से वह अपना स्पा बंद कर वहां से भाग गए थे। जिस समय स्वाति मालीवाल ने टीडीआई मॉल में प्रवेश किया और पुलिस को बुलाया, तुरंत स्पा मालिकों को सूचना मिल गयी और अधिकांश ने अपने स्पा को बंद कर दिया और चले गए। शेष बचे हुए स्पा में यह पाया गया कि कुछ स्पा सेंटर अभी भी बिना लाइसेंस के चल रहे थे। इसके अलावा सभी स्पा में रजिस्टर थे जिनमें यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि केवल पुरुष ही ग्राहक हैं और केवल महिलाओं द्वारा ही मालिश की जाती है। डीसीडब्ल्यू का दिल्ली में स्पा सेंटरों का निरीक्षण शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा।

181 पर खूब आ रही हैं शिकायतें : स्वाति

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली में स्पा के खिलाफ आयोग की हेल्पलाइन 181 पर खूब कॉल आ रही हैं। स्वाति ने ट्वीट कर कहा कि हम जहां जा रहे हैं, लाइन से स्पा बंद हो रहे हैं। पंजाबी बाघ के पर्फेक्ट स्पा पहुँचे। लाइसेन्स तक न था। बहुत से स्पा डर के दुकान बंद कर भाग गये। पुलिस और एमसीडी अगर अपना काम करें, तो दिल्ली के सब स्पा बंद हो जाएं। कब तक हाथ धरे बैठेंगे।

नशे में धुत ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पुलिस महकमें को किया शर्मसार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- जिले के डीसीपी को नहीं है घटना के बारे में जानकारी
- एडिशनल पीआरओ ने बताया पुलिसकर्मी को किया जा चुका है सस्पेंड
- सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक अपने महकमे को सुधारने के लिए नए-नए एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। बावजूद इसके पुलिसकर्मी सुधरने का नाम तक नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने पूरे पुलिस महकमे के साथ-साथ दिल्ली वासियों को भी शर्मसार कर दिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक निजी स्कूल के आगे सरेराह पेशाब कर रहा है। इतना ही नहीं वह नशे में पूरी तरह धुत है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि घटना के बारे में जिले के डीसीपी को कुछ पता नहीं है कि पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। डीसीपी (रोहिणी) एसडी मिश्रा ने बताया कि 100 नंबर पर कॉल ही नहीं की गई है। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं, दिल्ली पुलिस के एडिशनल पीआरओ अनिल मित्तल ने बताया कि यह घटना बवाना इलाके की है। इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दे कि वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सेक्टर-17, रोहिणी स्थित एक निजी स्कूल के सामने पुलिस यूनिफॉर्म में पेशाब करता नजर आ रहा है। इस दौरान वह एक कार के पास खड़ा है। पुलिसकर्मी नशे में इतना धुत है कि उसे इस बात का पता ही नहीं है कि कोई उसका वीडियो भी बना रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने बाद में इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है।

एन्चेन्टे ज्यूलरी लिमिटेड

enchanté FINE JEWELLERY

CIN: L74899HR1995PLC032759
प्लॉट # 3 व 4, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गांव, हरियाणा–122015
Website: www.enchantejewellery.co.in., **E-mail ID:** enchante@enchantejewellery.co.in

सार्वजनिक सूचना

वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर और ई–वोटिंग सूचना

1. 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित सदस्यों को भेजी जा रही सूचना में विनिर्दिष्ट बिजनेस का सम्पादन करने के लिये एन्चेन्टे ज्यूलरी लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार 30 सितम्बर 2019 को पूर्वा. 9.30 बजे प्लॉट नं. 3 व 4, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गांव, हरियाणा–122015 में आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.enchantejewellery.co.in पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तावेज वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों के लिये निरीक्षण हेतु खुले हैं।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सूचीकरण अनुबंध के खण्ड 16 के तहत कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स, 24 सितम्बर 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे। कम्पनी ने किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

ए) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधित नियमों, 2015 के नियम 20 और सूचीकरण अनुबंध के खण्ड 35बी के प्रावधानों की अनुपालना में, कम्पनी एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार सभी प्रस्तावों पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाई गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलैक्ट्रोनिकली अपना मत देने के लिये इसके सदस्यों को सुविधा प्रदान कर चुकी है।

बी) ई–वोटिंग के प्रारम्भ होने व समाप्त होने की तिथि व समय :
प्रारम्भ : शुक्रवार, 27 सितम्बर 2019 (पूर्वा. 10.00 बजे) समापन रविवार, 29 सितम्बर 2019 (अप. 5.00 बजे)

सी) कट ऑफ तिथि : मतदान के प्रयोजन हेतु शनिवार 23 सितम्बर 2019 को कार्य समय की समाप्ति

डी) ई–वोटिंग मॉड्यूल रविवार 29 सितम्बर 2019 को अप. 5.00 बजे के पश्चात् मतदान हेतु अयोग्य कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मत दे दिया जाता है तो उसको तदोपरांत इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो सदस्य इलैक्ट्रोनिकली अपना मत नहीं दे चुके हैं, एजीएम में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

जो सदस्य बैठक से पूर्व ई–वोटिंग द्वारा अपना मत दे चुके हैं, एजीएम में उपस्थित भी रह सकते हैं ; यद्यपि वे सदस्य दोबारा अपना मत देने के लिये हकदार नहीं होंगे। जिन सदस्यों के नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर 2019 के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा मैनटेन किये गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वे ही एजीएम में मतदान / ई–वोटिंग जैसा भी मामला हो की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

जो निवेशक सूचना के प्रेषण के उपरांत कम्पनी का सदस्य बनते हैं और कट ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार 23 सितम्बर 2019 के अनुसार शेयरधारण करते हैं, से आग्रह किया जाता है कि ई–मेल हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिये अपने विवरण अर्थात् डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी / फोलियो नं. सहित ई–मेल आईडी enchante@enchantejewellery.co.in पर श्री विवेक कुमार को लिखित / ई–मेल द्वारा कम्यूनिकेशन भेजें।

ई–वोटिंग के सम्बन्ध में किसी पूछताछ/स्पष्टीकरण/शिकायत हेतु सदस्य श्री पवन मेहरा से ई–मेल आईडी : pawanmehra67@hotmail.com कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सम्पर्क नं. 0124-2343250 (लैंडलाइन नं.) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
एन्चेन्टे ज्यूलरी लिमिटेड
हस्ता/- सी.एल. मेहरा
निदेशक

दिनांक : 08 सितम्बर, 2019
स्थान : गुड़गांव

अभी भी हेलमेट लगाना पसंद नहीं कर रहे लोग

दिल्ली में हर रोज चार हजार लोगों के कट रहे चालान

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- ड्रंकन ड्राइविंग के मामलों में आई कमी
- एक सितंबर को न्यू एक्ट के तहत 3900 वाहन चालकों के काटे गए थे चालान

दिल्ली में मोटर वाहन (संशोधित) बिल लागू होने के बाद ड्रंकन ड्राइविंग के मामलों को छोड़कर अन्य यातायात नियमों के उल्लघंन करने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई। एक सितंबर को इस एक्ट के लागू होने के पहले दिन रविवार को 3900 वाहन चालकों के चालान काटे गए थे। इसके बाद हर रोज करीब चार हजार वाहनों के चालान का औसत आ रहा है। बढ़ी राशि के बावजूद भी लोग हेलमेट लगाना पसंद नहीं कर रहे। सबसे अधिक बिना हेल्मेट के वाहन चलाने वालों के ही चालान काटे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तम ने जानकारी दी कि शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में पहले पांच दिनों में 254 चालकों के चालान कटे। साथ ही बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के चालान का आंकड़ा 1229 रहा। इसी प्रकार खतरनाक तरीके से वाहन चालाने के आरोप में 1527 वाहन चालकों के चालान कटे। रेड लाइट जंप करने वालों का आंकड़ा 2698 रहा। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के चालान रैगुलर कट रहे हैं।

दिल्ली यातायात पुलिस का कहना है कि सभी चालान अदालत के लिए किए जा रहे हैं। चालान करने वाली मशीने अपडेट हो चुकी है, लेकिन अभी केवल एक ही विकल्प अदालत भेजने का उनके पास है।